

(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 72/13

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 72/13

संस्थापन दिनांक-20/03/13

बुन्देलसिंह पुत्र दयाराम जाटव,
आयु 26 साल, निवासी ग्राम ग्यारा,
थाना डी0पार0 जिला दतिया।

-----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

वि रु द्ध

राज्य द्वारा पुलिस मौ,जिला भिण्ड -----प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदक

न्यायालय-कु0 शैलजा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के न क्रमांक-1114/08 ई.फौ. पुलिस
मौ बनाम बुन्देलसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 20/2/2013 से
उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 19 जुलाई 2014 को पारित किया गया)

01. कु0 शैलजा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक-1114/2008 पुलिस मौ बनाम बुन्देलसिंह में पारित आदेश दिनांक 20/02/2013 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणगण/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 91 द0प्र0स0 निरस्त किया गया है।
02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1114/08 अन्तर्गत धारा 279, 338 भा0द0स0 एवं 146/196 तथा 3/181 मोटर यान अधिनियम संचालित है, जो साक्ष्य की स्टेज पर विचाराधीन है।
03. पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-10.01.2008 को शाम 6:30 बजे आरोपी फरियादी दाताराम रणजीत मंदिर के सामने कस्बा मौ में खड़ा था। उसी समय आरोपी बुन्देलसिंह मोटरसाइकल क्रमांक एम0पी/97-के0बी0 5437 को तेजी से चलाकर लाया और उसने दाताराम को टक्कर मार दी। जिससे उसे चोटें आईं। जिसकी रिपोर्ट थाना मौ में किए जाने पर अपराध क्रमांक 123/08 पर धारा 279 व 337 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य की स्टेज पर आरोपी की ओर से एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 91 द0प्र0स0 का इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण में आरक्षक जगदीश द्वारा जांच की थी थी और जांच के दौरान तीन साक्षियों के कथन लिए गये थे, उन कथनों एवं फरियादी की एम0एल0सी0 रिपोर्ट को तलब किये जाने की प्रार्थना की गई, जो आक्षेपित आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

04. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं। जबकि अभियोजन की ओर से कहा गया कि विद्वान निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतया उचित है।

05. विचारणीय यह है कि—“क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 20/2/2013 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

06. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न किए गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

07— पुनरीक्षणकर्ता अभियोजन की ओर से यह तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि—विधान के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है। पुलिस द्वारा जांच प्रतिवेदन में एम0एल0सी0 एवं कथनों का जिक्र किया गया है ऐसे में कथनों व एम0एल0सी0 रिपोर्ट को तलब न करने में गंभीर भूल की है। न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है जो विधि एवं विधान के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है। प्रतिपरीक्षणकर्ता/अभियोजन की ओर से उक्त आदेश विधि एवं विधान के अनुसार होकर उसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता न होना प्रकट किया गया है।

8— आलोच्य आदेश के परिशीलन से प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी द्वारा जिन दस्तावेजों को तलब किए जाने की प्रार्थना की गई है उनकी साक्ष्य के प्रकृम पर कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ तक एम0एल0सी0 रिपोर्ट का प्रश्न है वह प्रकरण में पूर्व से अभिलेख पर है और जिन जांच कथनों को तलब कराये जाना बताया जा रहा है वह भी दिनांक 11.12.08 को

लिए गये है और प्रकरण में संलग्न है। ऐसी स्थिति में उन्हें तलब किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी दस्तावेज को पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी पेश करना चाहता है तो बचाव के प्रक्रम पर उसे तलब करा सकता है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में किसी प्रकार की अनियमितता, अनौचित्यता या अवैधानिकता नहीं की है। उक्त आदेश विधि सम्मत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

10— फलतः वाद विचार पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

उभयपक्ष विचारण न्यायालय में दिनांकको ठीक 11 बजे अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने के लिए उपस्थित रहें।

दिनांक 19-07-2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)